

## निःशक्तजनों को रियायती ऋण उपलब्ध



दही के बॉयम, सचिव, मध्य विकलांग कल्याण तथा विकास एवं आयुक्त, सामाजिक न्याय की अध्यक्षता में राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम, फरीदाबाद द्वारा संचालित स्वरोजगार योजना के संबंध में संवनालय के सभा कक्ष में संपन्न हुई इस अवसर पर दीपांकर बैनर्जी, आयुक्त, निःशक्तजन, मध्य एसके गुप्ता, संयुक्त संचालक, वीणा घाणेकर, प्रबंध संचालक डीके गुप्ता, सहायक महाप्रबंधक, नरेन्द्र कुमार, संचालक, जबलपुर उपस्थित थीं। राष्ट्रीय निगम द्वारा निःशक्तजनों को कोलेटरल फ्री रियायती ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही निःशक्त विद्यार्थी उच्च शिक्षा हेतु 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर शिक्षा ऋण का लाभ ले सकते हैं, निःशक्त छात्र-छात्राओं के लिए राष्ट्रीय निगम से छात्रवृत्ति व्यवसायिक, ट्रेनिंग कोर्स व स्वरोजगार योजना के लिए वित्तीय ऋण भी उपलब्ध है।

## बैठक



सामाजिक न्याय संचालनालय में राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम की बैठक का आयोजन किया गया। यहाँ बताया गया कि निगम द्वारा निराशक्तजनों को कोलेटरल फ्री रियायती ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। उन्हें चार प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर उच्च शिक्षा ऋण भी दिया जाएगा। इस मौके पर सचिव वीके बाधम, आयुक्त दीपांकर बैनर्जी, एसके गुप्ता, वीणा घाणेकर, डीके गुप्ता और नरेन्द्र कुमार मौजूद थे।

## निःशक्त छात्रों को मिलेगा सस्ता ऋण

भोपाल(मप्र) निःशक्त विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम 4 प्रतिशत की दर से शिक्षा ऋण मुहैया कराएगा। इसके अलावा निगम निःशक्तजनों को स्वरोजगार योजना, व्यवसायिक ट्रेनिंग भी उपलब्ध कराएगा। यह फैसला निगम और सामाजिक न्याय विभाग के बीच बुधवार को हुई बैठक में लिया गया। बैठक में विकलांग कल्याण तथा विकास सचिव वीके बाधम, निःशक्तजन आयुक्त दीपांकर बैनर्जी आदि मौजूद थे।

## निशक्त जन छात्रों को मिलेगा रियायती ऋण

भोपाल। राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम द्वारा निशक्तजन छात्रों को कोलेटरल फ्री रियायती ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही निःशक्त विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए चार प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर रियायती शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इस संबंध में बुधवार को मध्य विकलांग कल्याण तथा विकास आयुक्त एवं आयुक्त सामाजिक न्याय की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। जिसमें बताया गया कि योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन ग्रामीण बैंक के माध्यम से प्राप्त किए जाएंगे।